

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक -3400 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, मई, 25 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद रामपुर में रामपुर-केमरी मार्ग (ओडीओआर-20) किमी 13 चैनेज 13.352 की वांयी पटरी पर गाटा संख्या-750, ग्राम जनुनागर तहसील मिलक में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि 0 बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0591 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-2359/रामपुर/25456/2017, दिनांक 18-05-2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर ने अपने पत्रांक-2332/14-1, दिनांक 24-05-2017 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर से प्राप्त सूचना अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है :-

“ विषयक प्रस्ताव के पेज संख्या-29 पर प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.059068 हे० अर्थात् 0.0591 हे० अंकित किया गया है, जिसके आधार पर राजस्व कम न होकर बढ़ रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार राजकीय क्षति नहीं है। भविष्य में प्रस्ताव में वन भूमि का क्षेत्रफल पूर्ण रूप से अंकित किया जायेगा।”

भवदीय,

(आर० पी० वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
✓ मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर० पी० वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।